

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

वित्तीय वर्ष-2023-24 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना

सूचना

PR No.-321735

निदेशानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र-2023-24 के लिए झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर नामांकन लेने वाले छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के लिए पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से तिथि विस्तारित की जाती है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	ई-कल्याण पोर्टल पर कार्यवाही के लिए विस्तारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक सत्र-2023-24 हेतु छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	25.05.2024
2.	संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की पूर्व से निर्धारित तिथि अंतिम तिथि।	31.05.2024

अन्य दिशा-निर्देश पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार Website- ekalyan.cgg.gov.in पर उपलब्ध है।

सूचना

20.5.24

उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।

श्री/श्रीमती Reg-524

*प्रतिनिधि-1 श्री/श्रीमती सूचना पर एं-वेबसाइट, दिनांक 02/05/2024।
 1 कामकाज/आगमिका छात्रावास सूचना पर
 2 सत्र 2023-24 के छात्र/छात्राओं के आवेदन हेतु ई-कल्याण पोर्टल पर 25.05.2024 तक विस्तारित किया गया है।
 छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आगमिका के SC/ST एं-082 के छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25.05.2024 तक विस्तारित किया गया है।
 यदि आपने ई-वेबसाइट/आगमिका एं-082 के पोर्टल पर आवेदन किया है तो आपका आवेदन 20/05/2024 तक ऑनलाइन आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25.05.2024 तक विस्तारित है।
 (आगमिका के छात्र/छात्राओं के लिए आवेदन की तिथि 25.05.2024 तक विस्तारित है।)
 आवेदन हेतु ई-वेबसाइट/आगमिका एं-082 के पोर्टल पर आवेदन किया है।
 3 आप-वेबसाइट/आगमिका एं-082 के पोर्टल पर आवेदन किया है।
 4 आवेदन हेतु ई-वेबसाइट/आगमिका एं-082 के पोर्टल पर आवेदन किया है।*

*श्री/श्रीमती
 20.5.24
 उप निदेशक, आदिवासी कल्याण।*